न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 145/2017/अपील

शिम्भूदयाल पुत्र बींजाराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांवलपुरा तंवरान उपतहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 नायब तहसीलदार अजीतगढ़ जिला सीकर

2 तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 01.12.2017 मु.न. 135/2017 अनुवानी सरकार बनाम शिम्भूदयाल द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़

वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत

निर्णय दिनांकः–28.06.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ के समक्ष अपीलांट के विरूद्ध एक निराधार रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि शिवदयाल पुत्र बींजाराम कोम गुर्जर ने सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर 85 रकबा 6.30 हैक्टेयर चारागाह में से 0.05 है0 में से 0.010 पर छड़ी व कड़ब व चार दीवारी लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान की उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा दिनांक 29.11.2017 को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 01.12.2017 अंकित कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट की दूसरी पेशी पर एक्स पार्टी करते हुए दिनांक 01.12.2017 को एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ के समक्ष अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हल्का पटवारी सांवलपुरा तंवरान की रिपोर्ट सर्वथा निराधार एवं झूंठी है। अपीलांट ने सम्वंत 2074 में कोई अतिक्रमण नहीं किया। उसका कब्जा काफी पुराना है। अपीलांट वादग्रस्त अराजियात पर अपने पूर्वजों के जमाने से पक्के मकान बनाकर मय परिवार आबाद है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है, बल्कि वादग्रस्त जगह का कब्जाधारी अन्य व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की बाला बाला तामील अपीलांट की पत्नी से करवाना पर्याप्त मानकर एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट की विधिवत रूप से तामील करवाये बिना तथा बिना अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना दिए बिना व अपीलांट को जवाब व सबूत साक्ष्य पेश करने का कोई मौका दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि पर अपीलांट पक्के मकानात बनाकर मय परिवार कदीम से आवास निवास करता चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 0.010 है0 पर जो

Web Copy - Not Official

अतिक्रमण बताया गया है, सरासर गलत है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.12.2017 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट निर्धारित तारिख पेशी पर सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम सांवलपुरा तंवरान के खसरा नम्बर 85 रकबा 6.30 है0 किस्म चारागाह में से 0.05 है0 पर छड़ी, कड़ब व चार दिवारी लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी/अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः राजकीय भूमि (चारागाह) पर छड़ी, कड़ब व चार दिवारी लगाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 01.12.2017 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28/6/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर